भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या657

दिनांक 29.04.2015/09 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

बोडोलैड प्रादेशिक क्षेत्र जिले में आतंकवादी हिंसा

657 श्री भुवनेश्वर कालिता :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम को बोडोलैड प्रादेशिक क्षेत्र जिला (बीटीएडी) से जुडे क्षेत्रों में पिछले 2-3 दशकों को दौरान उग्रवादी समूहों द्वारा आतंकवादी हिंसा की कई गंभीर वारदातें की गई;

(ख) क्या असम के चिरांग जिले में 1966 तथा 1998 में किए गए ऐसे आतंकवादी हमलों से पीड़ित व्यक्तियों का पुनर्वास अभी भी सरकार द्वारा नहीं किया गया है और ऐसे हजारों पीड़ित व्यक्ति अभी विभिन्न राहत शिविरों में रहते हुए अपने गांव लौटने की प्रतिक्षा कर रहे हैं; और

(ग) क्या केंद्र सरकार काफी समय से लंबित इस गंभीर मामले की जांच करेगी और पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास और मुआवजे के लिए राज्य सरकार की सहायता करने हेतु प्रभावी उपाय करेगी?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) और (ख): असम सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, असम राज्य में वर्ष 1996 और 1998 में हुई घटनाओं सहित विगत में हुई उग्रवादी हिंसा के कारण प्रभावित परिवारों का पुनर्वास कर दिया था और सभी राहत शिविर बंद कर दिए गए थे। वर्ष 1966 में किसी हिंसक घटना की सूचना नहीं मिली थी। हिंसा प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री प्रदान करने और उनके पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी। वर्तमान में चिरांग जिले बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट (बीटीएडी) के एवं अन्य जिलों में कोई राहत शिविर नहीं है।

(ग): उर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

****